कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक-11.10.2025

विषय- चेन लूटेरा अभियुक्त एक पीली धातु चेन व चेन बेचने से प्राप्त धनराशि से शेष बचे 13110/- रुपये व प्राप्त धनराशि से खरीदी गयी मोबाइल के साथ थाना दशाश्वमेध पुलिस ने किया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध व प्रभारी निरीक्षक दशाश्वमेध के नेतृत्व में थाना दशाश्वमेध पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 188/2025, धारा- 304(2), 317(2), 317(4) BNS व मु0अ0सं0- 191/2025, धारा 304(2), 317(2), 317(4) BNS बनाम अज्ञात थाना दशाश्वमेध वाराणसी से सम्बन्धित प्रकाश मे आये अभियुक्त शोभित डे उर्फ हर्ष यादव पुत्र प्रदीप कुमार डे निवासी D 33/39 खालिसपुरा दशाश्वमेध वाराणसी, उम्र करीब 21 वर्ष को दिनांक 11.10.2025 को सामने घाट जजेज गेस्ट हाउस थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से महिला दर्शनार्थी से लूटी गयी चेन के विक्रय से प्राप्त धन 13110/- रुपया व एक अदद पीली धातु चेन व चेन बेचने से प्राप्त धनराशि से खरीदी गयी मोबाइल बरामद किया गया। थाना दशाश्वमेध पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- अभियुक्त शोभित डे उर्फ हर्ष पुत्र प्रदीप कुमार डे निवासी D 33/39 खालिसपुरा दशाश्वमेध वाराणसी, वर्तमान पता एन 15/226 बजरडीहा सुदमापुर थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगीः-

1. 13110/- रुपया (सोने की चेन को बेचने मे से शेष बचा हुआ धनराशि)।
2. एक अदद पीली धातु चेन।
3. चेन बेचने से प्राप्त धनराशि से खरीदी गयी मोबाइल ओप्पो कम्पनी।

पूछताछ विवरणः- अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मै अकेले ही पैदल गलियो मे घूमकर भोर मे महिलाओ को टारगेट कर मौका पाकर उनका चेन छीन लेता हूँ व उसे वाराणसी व अन्य जनपदो मे जाकर बहाना बनाकर चेन बेचकर मौज मस्ती कर पैसा खर्च कर देता हूँ और पैसा खर्च हो जाने के बाद पुनः इसी प्रकार के अपराध कारित करता हूँ। दिनांक 09/09/2025 की भोर में लगभग चार बजे मैं बंगाली टोला गली में वृद्ध महिला के गले से एक सोने का चेन छीनकर पीछे मुड़कर गलियो से होकर भाग गया था। दिनांक 14 व 15 सितम्बर 2025 की रात्रि को करीब दो बजे खालिसपुरा/बंगाली टोला गली मे राजेश पान की दुकान के पास दक्षिण भारतीय दर्शनार्थियो के

सदस्यो मे से एक दम पीछे चल रही महिला के गले से मैं चेन छीन कर पीछे मुड़कर गलियो में भाग गया था। चेन के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि मुझे पैसो की सख्त आवश्यकता थी इसलिए मैंने भदोही में जाकर उस चेन को लाकेट सहित एक अज्ञात व्यक्ति से अपनी समस्या का बहाना बनाकर पच्चासी हजार रुपये में बेच दिया था। उसी रुपये में से मैने दिनांक 18.09.2025 को एक ओप्पो का मोबाइल फोन खरीदा था, तथा उन्ही पचासी हजार रुपये में से बचा 13110/- रुपये था, जिसको आप लोगो ने बरामद किया है। शेष पैसा मैनें खाने पीने घूमने और शौक पूरा करने में खर्च कर दिया। दूसरा चेन जो अभी आपने मेरे पास से बरामद किया है उसको मैनें अपने पास रखा था कि उसे सही दाम में बेंचूंगा। मैनें घटना के बाद कई लोगो से सुना था कि पुलिस मुझे खोज रही है, इसलिए मै काफी डर गया था तथा छिप छिपाकर रहता था। आज मैं यहां से कहीं बाहर निकल जाने की तैयारी में था किन्तु आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया।

अपराध विवरणः-

1. मु0अ0सं0- 149/2025 धारा 309(4)/ 317(2) BNS थाना दशाश्वमेध वाराणसी।
2. मु0अ0सं0- 151/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दशाश्वमेध वाराणसी।
3. मु0अ0सं0- 188/2025 धारा 304(2) बढोत्तरी धारा- 317(2), 317(4) BNS थाना दशाश्वमेध वाराणसी।
4. मु0अ0सं0- 191/2025 धारा 304(2) बढोत्तरी धारा- 317(2), 317(4) BNS थाना दशाश्वमेध वाराणसी।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक- 11.10.2025 को स्थान- सामने घाट जजेज गेस्ट हाउस थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी के पास से।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह थाना दशाश्वमेध कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री विजय कुमार चौधरी थाना दशाश्वमेध, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 श्री अनुज मणि तिवारी थाना दशाश्वमेध कमिश्नरेट वाराणसी।
4. उ0नि0 श्री अजितेश कुमार चौधरी थाना दशाश्वमेध,कमिश्नरेट वाराणसी।
5. हे0कां0 आशुतोष पाण्डेय थाना दशाश्वमेध,कमिश्नरेट वाराणसी।
6. कां0 राजन सिंह थाना दशाश्वमेध,कमिश्नरेट वाराणसी।
7. कां0 अमित कुमार थाना दशाश्वमेध कमिश्नरेट वाराणसी।
8. का0 अश्वनी सिंह सर्विलांस सेल कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, जोन-काशी
कमिश्नरेट वाराणसी